झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सी. एम. पी. सं. 287/2019

राजदेव राम ....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य .....विपक्षीगण

कोरम : माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार चौधरी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राहुल देव
राज्य के अधिवक्ता : कोई नहीं।

आदेश सं.04 दिनांक -26.08.2022

दोनों पक्षों को सुना।

डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 269/2009 की मूल फाइल में पुनर्स्थापना के लिए यह दीवानी विविध याचिका याचिकाकर्ता के कहने पर दायर की गई है। ।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 269/2009 को अभियोजन की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था। वे निवेदन करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस मामले को वाद सूची में चिह्नित नहीं कर सके, इसलिए जब मामले को पुकारा गया वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। उसके बाद यह भी निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास इस रिट याचिका पर कहने के लिए बहुत अच्छे आधार हैं और यदि डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 269/2009 को मूल फाइल में बहाल नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता को

अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 269/2009 को मूल फाइल में पुनर्स्थापित किया जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त प्रस्तुति पर विचार करते हुए, डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 269/2009 को मूल फाइल में उसी स्तर पर पुनर्स्थापित किया जाता है, जिस स्तर पर खारिज किया गया था।

डब्ल्यू. पी. (एस) सं. 269/2009 को एक सप्ताह के बाद उपयुक्त शीर्षक के तहत उपयुक्त पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

सोनू-गुंजन /